(149)

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 1999/चैत्र 18, 1921
No. 170] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 1999/CHAITRA 18, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 248(अ)—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब अच्छे आचरण वाले बंदी (अस्थायी रूप से छोड़ा जाना) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब अधिनियम सं. 30) का, जिस रूप में कि वर्तमान में पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. धारा 1 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
 (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
2. धारा 2 में,—
 (i) "पंजाब अच्छे आचरण वाले बंदी (अस्थायी रूप से छोड़ा जाना) अधिनियम, 1962" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब अच्छे आचरण वाले बंदी (अस्थायी रूप से छोड़ा जाना) अधिनियम, 1962" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
 (ii) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा और ऐसे किसी वाक्य में जिसमें ये शब्द आते हैं, ऐसे पारिभाषिक संशोधन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित हों; और
 (iii) "राज्य" शब्द के स्थान पर जहां-जहां भी यह आता है, "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।
3. धारा 3 का लोप किया जाएगा ।

उपाबंध

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब अच्छे आचरण वाले (बंदी अस्थायी रूप से छोड़ा जाना) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब अधिनियम सं. 30) पंजाब अच्छे आचरण वाले बंदी (अस्थायी रूप से छोड़ा जाना) अधिनियम, 1962 का संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब अच्छे आचरण वाले बंदी (अस्थायी रूप से छोड़ा जाना) संशोधन अधिनियम, 1978 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **1962 के पंजाब अधिनियम सं. 11 की धारा 6 का प्रतिस्थापन** चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथाप्रवृत्त पंजाब अच्छे आचरण वाले बंदी (अस्थायी रूप से छोड़ा जाना) अधिनियम, 1962 की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

6. **मामले जहां जिला मजिस्ट्रेट के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है या जहां बंदियों को नहीं छोड़ा जाना है :** धारा 3 और धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(i) जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा जहां प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि पूर्वोक्त धाराओं में से किसी के अधीन इससे पहले छोड़े जाने की अवधि के दौरान बंदी का अच्छा आचरण रहा है, और

(ii) कोई बंदी इस अधिनियम के अधीन छोड़े जाने के लिए हकदार नहीं होगा यदि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर, जहां उसके साथ परामर्श करना आवश्यक है, प्रशासक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उसके छोड़े जाने से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा होने की संभावना है।"

[फा. सं. यू-11015/1/96-यू टी एल (195)]
पी.के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1999

G.S.R. 248 (E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 1978 (Punjab Act No. 30 of 1978) as at present in force in the State of Punjab subject to the following modifications, namely :—

Modifications

1. In section 1, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It shall come into force at once."

2. In section 2,—

(i) for the words, "In the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1962", the words and figures "In the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1962 as in force in the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

(ii) for the words "State Government", the words "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which these words occur, such consequential amendments as the rules of grammar may require; and

(iii) for the word "State" wherever it occurs, the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. Section 3 shall be omitted.

Annexure

The Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 1978 (Punjab Act No. 30 of 1978) as extended to the Union Territory of Chandigarh.

An Act to amend the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1962.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement :** (1) This Act may be called the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 1978.

(2) It shall come into force at once.

2. **Substitution of section 6 of Punjab Act No. 11 of 1962 :** In the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1962 as in force in the Union Territory of Chandigarh for section 6, the following section shall be substituted namely :—

"6. **Cases where consultations with District Magistrate not necessary or where prisoners are not to be released :** Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4,—

(i) it shall not be necessary to consult the District Magistrate where the Administrator is satisfied that the prisoner maintained good conduct during the period of his earlier release under any of the aforesaid sections; and

(ii) no prisoner shall be entitled to be released under this Act, if on the report of the District Magistrate, where consultation with him is necessary, the Administrator or an officer authorised by him in this behalf is satisfied that his release is likely to endanger the security of the Union Territory of Chandigarh or maintenance of public order".

[F. No.U-11015/1/96 UTL(195)]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064